न्यायालय, जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, यज्ञ मित्र सिंहदेव आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 35/2019 अपील आवश्यक वस्तु अधिनियम

मोहर सिंह मीणा पुत्र स्व0 पालाराम जाति मीणा, निवासी ग्राम पिपलोदा का बास, तहसील खण्डेला, जिला सीकर (राज0) अधिकृत उचित मूल्य दुकानदार ग्राम सुजाना तहसील खण्डेला, जिला सीकर (राज.)।

अपीलान्ट

बनाम

1. प्रवर्तन अधिकारी खण्डेला/शाखा प्रभारी शाखा कार्यालय खण्डेला जिला सीकर।
2. जिला रसद अधिकारी, सीकर।

रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितः–

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद जांगिड़ अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 09.09.2019 द्वारा जिला रसद अधिकारी, सीकर

निर्णय

निर्णय दिनांकः२४अक्टूबर, 2019

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है किः–

(1) प्रवर्तन निरीक्षक खण्डेला की जांच रिपोर्ट दिनांक 11.06.2017 को ग्राम पंचायत सुजाना के उचित मूल्य दुकानदार अपीलान्ट के यहां वास्ते शिकायतकर्त्ताओं से फोन पर सम्पर्क किया गया तथा उनके राशन कार्डों की मौके पर जांच की गई। अपीलान्ट के यहां गेहूं का आवंटन 1 सितम्बर 2016 से 31 मई 2017 तक 1374.53 क्विंटल का हुआ तथा वितरण 1362.87 क्विंटल गेहूं हुआ। इस प्रकार 11.66 क्विंटल गेहूं शेष रहने चाहिए जो कि मौके पर भौतिक सत्यापन करने पर सही पाये गये तथा 161.84 क्विंटल गेहूं जून 2017 के आवंटन स्टॉक में मिले। केरोसीन तथा चीनी का भौतिक सत्यापन भी सही पाया गया।

(2) राशन कार्ड नम्बर 0192 रामगोपाल के राशन कार्ड में दिनांक 16.05.2017, 1503.2017, 16.01.2017, 20.11.2016, 19.09.2016 को 20 किलो गेहूं के इन्द्राज पाये

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

गये तथा उपभोक्ता ने मौके पर कहा कि इन्हें एक माह छोड़कर एक माह राशन प्राप्त हो रहा है। राशन कार्ड की ऑनलाईन ट्रांक्जेशन की जांच की गई, जिसमें एक माह छोड़कर एक माह 40 किलो गेहूं निकाले गये तथा उपभोक्ता को 20 किलो गहूं ही दिये गये। उक्त राशन कार्ड में 100 किलो गेहूं का गबन पाया गया। राशन कार्ड 014 ओमप्रकाश के राशन में दिनांक 17.05.2017, 23.04.2017, 13.02.2017, 17.12.2016, 20.10.2016 को 10 किलो गेहूं के इन्द्राज पाये गये तथा उपभोक्ता कें अनुसार इन्हें एक माह छोड़कर एक माह राशन प्राप्त हो रहा है। राशन कार्ड की ऑनलाईन ट्रांक्जेशन की जांच की गई। जिसमें एक माह छोड़कर एक माह 20 किलो गेहूं निकाले गये तथा उपभोक्ता को 10 किलो गेहूं ही दिये गये। उक्त राशन कार्ड में 30 किलो गेहूं का गबन किया गया।

(3) मौके पर ऐसे कई राशन कार्ड प्राप्त हुए जिन्हें हर माह राशन प्राप्त नहीं हो रहा है और अगले माह ऑन लाईन ट्रांक्जेशन की अपेक्षा आधा राशन ही प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार राशन कार्ड नम्बर 0257 किशन के 80 किलो गेहूं, राशन कार्ड नम्बर 0337 रोहिताश कुमार के 60 किलो गेहूं, राशन कार्ड नम्बर 0259 सुभाष कुमार 150 किलोग्राम गेहूं कार्ड नम्बर 0252 रमेश कुमार के 175 किलो गेहूं तथा 23 लीटर केरोसीन तेल, राशन कार्ड नम्बर 0339 रूपचन्द के 120 किलो गेहूं तथा 9 लीटर केरोसीन तेल का गबन पाया गया। इसी प्रकार डीलर द्वारा उपभोक्ता हर माह आने के बावजूद ऑन लाईन ट्रांक्जेशन एक माह छोड़कर एम माह किया जा रहा है। जिससे उसे डबल राशन प्राप्त होता है, लेकिन उपभोक्ताओं को आधा राशन ही मिल रहा है। उक्त 7 राशन कार्डों की जांच में 7.15 क्विंटल गेहूं तथा 32 लीटर केरोसीन का गबन पाया गया।

(4) अपीलान्ट ने कारण बताओ नोटिस का दिनांक 10.07.2017 को जवाब दिया गया। जिसमें प्रवर्तन निरीक्षक खण्डेला की जांच के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा अपीलान्ट की सेवाओं से पूर्णतया सन्तुष्ट होना तथा किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होना बताया गया। अपीलान्ट द्वारा उपभोक्ताओं को सही समय पर सही मात्रा में राशन सामग्री का वितरण किया गया है। निरीक्षण के दौरान भौतिक सत्यापन सही पाया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक खण्डेला द्वारा पूछताछ करने पर उपभोक्ताओं ने लिखकर दिया है कि डीलर से हमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। कभी कभार पॉस मशीन की तकनीकी त्रुटि एवं अपीलान्ट को पूर्ण प्रशिक्षण पॉस मशीन चलाने का ना होने के कारण ट्रांक्जेशन सम्बन्धी गलती हो जाती है। प्रत्येक उपभोक्ता को माहवार

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(ब्रज मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। इस प्रकार अपीलान्ट ने गेहूं व केरोसीन का गबन नहीं किया है।

(5) अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना ही निर्णय किये जाने में भारी भूल की है। जिन उपभोक्ताओं की अनियमितता बतायी जा रही हैं। उक्त उपभोक्ताओ ने प्रवर्तन निरीक्षक खण्डेला को लिखित में दिया व इस बात का शपथ पत्र भी दिया कि हमने डीलर से राशन सम्पूर्ण प्राप्त कर लिया है व डीलर से हमें कोई शिकायत नहीं है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकरी सीकर के आदेश दिनांक **09.09.2019** को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने का आदेश पारित करने का श्रम करें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. बहस अपीलान्ट सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक खण्डेला की जांच के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा अपीलान्ट की सेवाओं से पूर्णतया सन्तुष्ट होना तथा किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होना बताया गया। अपीलान्ट द्वारा उपभोक्ताओं को सही समय पर सही मात्रा में राशन सामग्री का वितरण किया गया है। निरीक्षण के दौरान भौतिक सत्यापन सही पाया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक खण्डेला द्वारा पूछताछ करने पर उपभोक्ताओं ने लिखकर दिया है कि डीलर से हमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। कभी कभार पॉस मशीन की तकनीका त्रुटि एवं अपीलान्ट को पूर्ण प्रशिक्षण पॉस मशीन चलाने का ना होने के कारण ट्रांक्जेशन सम्बन्धी गलती हो जाती है। प्रत्येक उपभोक्ता को माहवार राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकरी सीकर का आदेश दिनांक **09.09.2019** निरस्त फरमाया जावे।

5. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। मोहरसिंह मीणा बनाम जिला रसद अधिकारी सीकर बाबत जिला रसद अधिकारी की पत्रावली 948/2017 में उपलब्ध निरीक्षण रिपोर्ट दसतावेज में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। साथ ही जिला रसद अधिकारी सीकर द्वारा समस्त तथ्यों का गुणावगुण के आधार पर विवेचन उपरान्त पारित निर्णय का भी अवलोकन किया। प्रवर्तन निरीक्षक खण्डेला व जिला रसद अधिकारी सीकर द्वारा प्रकरण में

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner